

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वीं बैठक दिनांक 04.04.2024
का कार्यवाही विवरण**

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) मध्यप्रदेश की 842वीं बैठक दिनांक 04.04.2024 को श्री अरुण कुमार भट्ट, अध्यक्ष, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण की अध्यक्षता में एफको, पर्यावरण परिसर, भोपाल में सम्पन्न हुई बैठक में निम्न सदस्य स्वयं/विडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम उपस्थित थे :-

1. श्री अनिल कुमार शर्मा, सदस्य, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।
2. श्री संजीव सिंह, सदस्य सचिव, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण।

बैठक के प्रारंभ में प्रभारी अधिकारी, सचिवालय, राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा अध्यक्ष एवं सदस्यों का स्वागत किया गया।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण द्वारा प्रकरण क्र. 11251/2024 को छोड़कर शेष सभी में सर्वसम्मति से निम्नानुसार निर्णय लिये गये:

क्र	प्रकरण क्र.	अधिसूचि चत श्रेणी	जिला	परियोजना	SEAC द्वारा अनुशासित/ परिवेश पोर्टल पर आवेदित	प्राधिकरण का निर्णय
1.	11064/2023	1 (a)	मंदसौर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
2.	11251/2024	1 (a)	भोपाल	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
3.	7341/2020	1 (a)	छतरपुर	ग्रेनाईट खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
4.	10177/2023	1 (a)	शाजापुर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
5.	10642/2023	1 (a)	भिण्ड	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
6.	10294/2023	1 (a)	देवास	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
7.	10295/2023	1 (a)	देवास	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
8.	10317/2023	1 (a)	देवास	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
9.	10644/2023	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
10.	10324/2023	1 (a)	देवास	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
11.	10412/2023	1 (a)	विदिशा	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
12.	10484/2023	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	निरस्त
13.	10801/2023	1 (a)	सीधी	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
14.	9271/2022	1 (a)	बालाघाट	मैगनीज ओर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
15.	11066/2023	1 (a)	नर्मदापुर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
16.	11114/2023	1 (a)	गुना	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
17.	11201/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

**राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण म.प्र. की 842वी बैठक दिनांक 04.04.2024
का कार्यवाही विवरण**


18.	11202/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
19.	11203/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
20.	11204/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
21.	11208/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
22.	11212/2024	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
23.	11213/2024	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
24.	11214/2024	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
25.	11215/2024	1 (a)	बैतूल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
26.	11219/2024	1 (a)	शहडोल	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्पष्टीकरण एवं Delisted
27.	11225/2024	1 (a)	उमरिया	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
28.	11226/2024	1 (a)	बालाघाट	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति अनुशंसित नहीं	निरस्त
29.	11227/2024	1 (a)	उज्जैन	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
30.	11229/2024	1 (a)	उज्जैन	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
31.	11230/2024	1 (a)	उज्जैन	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
32.	11230/2024	1 (a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित
33.	11231/2024	1 (a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
34.	11232/2024	1 (a)	नरसिंहपुर	रेत खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति	स्वीकृत
35.	10482/2023	1 (a)	अशोकनगर	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

36.	P2/27/2024	1(a)	सतना	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
37.	P2/307/2024	1(a)	उज्जैन	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत
38.	9623/2023	1(a)	रतलाम	पत्थर खदान	पर्यावरणीय स्वीकृति में संशोधन	स्वीकृत

1. प्रकरण क्र. 11064/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स गुप्ता इन्टरप्राइजेज, प्रो. श्री आशीष गुप्ता आत्मज, निवासी- म.नं. 127, महू नीमच रोड़, डीआरपी लाईन के सामने, जिला मंदसौर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 9000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.3475 हेक्टेयर, खसरा 322/2, ग्राम भंडारिया तहसील दलौदा, जिला मंदसौर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)-
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) मंदसौर का पत्र क्र. 1222 दिनांक 13.07.2023 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा प्रदान की गई है तथा कार्यालय कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग संभाग मंदसौर के पत्र क्र. 390 दिनांक 24.01.2023 द्वारा अकोदड़ा से ताजखेड़ी मार्ग के निर्माण कार्य हेतु 08 माह (वर्षाकाल रहित) की कार्यवधि प्रदान की गई है। अतः यह पर्यावरण स्वीकृति जारी होने की दिनांक से 08 माह तक वैध मान्य रहेगी।
- II. मंदसौर जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा अनुमोदित खनन योजना अनुसार खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग एवं विस्फोटक का प्रयोग नहीं किया जायेगा एवं खनन क्षेत्र में ब्लास्टिंग ना किये जाने का प्रदर्शन डिस्प्ले बोर्ड पर किया जावे।
- IV. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माईनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

2. प्रकरण क्र. 11251/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स बेलजी रत्ना सोरठिया इन्फ्रा प्रा. लिमि., डायरेक्टर श्री चन्द्रेश सोरठिया, बड़ौदा गुजरात वर्तमान निवास ग्राम ललोई, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 1,00,000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.023 हेक्टेयर, खसरा 36/5, ग्राम ललोई, तहसील बैरसिया, जिला भोपाल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशांसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- I. कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) भोपाल का पत्र क्र. 2350 दिनांक 17.07.2023 के माध्यम से अस्थाई अनुज्ञा (02 वर्ष) की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.07.2025 तक वैध मान्य रहेगी।
- II. भोपाल जिले की अनुमोदित नवीन जिला सर्वेक्षण रिपोर्ट में विभाग द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुरूप ही प्रक्रिया अपनाकर उक्त खदान की जानकारी (अक्षांश देशांश सहित) सम्मिलित करवाये जाने के उपरांत ही उत्खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा एवं इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- III. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान के आस-पास स्थित कृषि भूमि मालिकों से लिखित सहमति प्राप्त करने के उपरांत ही खनन कार्य व खनिज का परिवहन किया जायेगा। इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- IV. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र के चारो ओर आमजन एवं मवेशियों की सुरक्षा हेतु बिंड ब्रेकिंग बॉल का निर्माण करने के उपरांत ही खनन कार्य प्रारंभ किया जायेगा। इस हेतु संबंधित खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- V. परियोजना प्रस्तावक द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि खनिज उत्खनन से आस-पास स्थित कृषि भूमि व कृषकों पर कोई विपरीत प्रभाव न पड़े।
- VI. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले जलीय निकाय से न्यूनतम 200 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। (माननीय एनजीटी (प्रिंसिपल बेंच) के ओए नंबर 304/2019 में जारी निर्देशानुसार पत्थर खदान की अनुमति में संवेदनशील क्षेत्रों से न्यूनतम दूरी के लिये निर्धारित मापदण्ड के दृष्टिगत नॉन ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम दूरी 100 मीटर और ब्लास्टिंग संक्रिया के लिए न्यूनतम 200 मीटर की दूरी तय है)। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- VII. परियोजना प्रस्तावक खनन कार्य शुरू करने से पहले कृषि भूमि से न्यूनतम 25 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

VII. परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

Dissenting decision of Member

I have shown my disagreement with the decision taken on case no 11251/2024 listed in the meeting 842nd dated 04-04-24. The basis of my disagreement as per following :-

प्रकरण में खदान की भौगोलिक स्थिति में निम्नलिखित पर्यावरण संवेदनशीलता है जिसका निराकरण आवश्यक प्रतीत होता है :-


1. प्रस्तावित खदान कृषि क्षेत्र के बीच में स्थित है।
2. खदान में ब्लास्टिंग प्रस्तावित है जो कि कृषि कार्यो तथा उसमें कार्य करने वाले कृषकों के लिये असुविधाजनक एवं खतरनाक हो सकता है।
3. खनिज का परिवहन मार्ग नहीं दर्शाया गया है और वाहनो के आवागमन से कृषि कार्य प्रभावित होंगे तथा आस-पास के क्षेत्रों में प्रदूषण की समस्या उत्पन्न होगी। इसके अलावा परिवहन मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने की आवश्यकता भी होगी, जिससे कृषि भूमि की उपलब्धता कम होगी।
4. कृषि भूमि को अन्य कार्यो में उपयोग किया जाना उचित नहीं होगा।
5. आस-पास के कृषकों से खदान के संबंध में कोई सहमति दी गई है यह भी स्पष्ट नहीं है।
6. खदान की खुदाई होने पर इससे उत्पन्न पिट में आसपास के लोगों तथा मवेशियों के गिरने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।
7. परिवहन मार्ग के लिये कृषि भूमि में अधिग्रहण की आवश्यकता होगी, इसके बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं है।
8. खदान से कृषि भूमि के लिये निर्धारित दूरी के मापदण्ड का पालन करने के पश्चात् खनन योग्य भूमि उपलब्ध होने की संभावना कम है।


उक्त कारणों से इस प्रकरण में अपनी असहमति प्रस्तुत करता हूँ। उपरोक्त बिन्दुओं को शर्त के रूप में डालना भी उचित नहीं होगा क्योंकि इसमें दोनो पक्षों की राय और सहमति आवश्यक होगी तथा संवेदनशीलता का ध्यान रखना होगा।


(Anil Kumar Sharma)
Member, SEIAA

इस तरह प्रकरण क्र. 11251/2024 में कंडिका क्र. 10 के अनुसार बहुमत के आधार पर निर्णय लिया गया है। सर्वसम्मति निर्णय न होने के कारण इस संबंध में EIA Notification Dated 1-12-2009 SO 3067 (E) के अनुसार मिनिट्स की प्रति पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को भेजी जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

3. प्रकरण क्र. 7341/2020 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स एस.बी. ग्रेनाईट लिमि, निवासी 614, अपेक्स मॉल, लाल क़ोठी, टैंक रोड़, जिला जयपुर, (राजस्थान) द्वारा ग्रेनाईट खदान, उत्पादन क्षमता 500 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.50 हेक्टेयर, खसरा 28/1, ग्राम सिलपतपुरा, तहसील चन्देला, जिला छतरपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:—

".....SEAC की अनुशंसा अनुसार परियोजना प्रस्तावक द्वारा स्वीकृत आवंटित खनन क्षेत्र में कुल 06 पेड़ लगे हैं जो काटे जायेंगे तथा उनके एवज में 60 अतिरिक्त पेड़ लगाये जायेंगे।

अतः परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्त क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (कम से कम 04 फिट उंचाई तक के पौधों का रोपण) के लक्ष्य को पूर्ण कर स्थल के फोटोग्राफ मय अक्षांश देशांश सहित एवं साथ ही वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध जल स्रोत तथा प्रतिदिन जल की उपलब्ध मात्रा की जानकारी 15 दिवस में परिवेश पोर्टल पर अपलोड की जाये। तबतक प्रकरण को Delist किया जाये। तदानुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जायें।

4. प्रकरण क्र. 10177/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री मुकेश वर्मा, निवासी— नियर सेन्ट अनीस विद्यालय, चाणक्यपुरी, जिला सीहोर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25725 टन प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 2/1, 2/5, 2/8, 2/9, ग्राम पगरावद कलां, तहसील शुजालपुर, जिला शाजापुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा नहीं की गई है।

".....परियोजना प्रस्तावक / पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा अवगत कराया गया कि समीपस्थ स्थित एक अन्य खदान प्रकरण क्रमांक 8990/22 जो देवास जिला सीमा में स्थित है एवं शाजापुर जिले के बाहर है उसे पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान की गई है। अतः दोनों प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत विचार करने योग्य है। समिति ने विचारोपरांत निर्णय लिया कि प्रकरण सिया को अग्रोषित किया जाता है।...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

5. प्रकरण क्र. 10642/2023 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री रमाकान्त पाण्डे, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेश हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 19320 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम गुरीरा, तहसील मिहोना, जिला भिण्ड (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-3) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार मेजर रोड़ ब्रिज से दोनो ओर न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

6. प्रकरण क्र. 10294/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 50000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 221, ग्राम पिपलनेरिया, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

7. प्रकरण क्र. 10295/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 15000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 105, ग्राम मेलपिपल्या, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।....."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

8. प्रकरण क्र. 10317/2023 परियोजना प्रस्तावक दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री गिरीश खाण्डेवाकर,, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 2350 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 3.50 हेक्टेयर, खसरा 1 एवं 279, ग्राम सुरजाना, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।



(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरुद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

9. प्रकरण क्र. 10644/2023 दि म.प्र. दि स्टेट माईनिंग कार्पोरेशन, श्री प्रमोद धाबई, अधिकृत प्रतिनिधि, पर्यावास भवन, ब्लाक ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 3600 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.50 हेक्टेयर, खसरा 35, ग्राम बाकुद, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र से 200 मीटर की दूरी पर पर एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है। अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

10. प्रकरण क्र. 10324/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री गिरीश खाण्डेवाकर, जूनियर मैनेजर जनरल, सी.टी.टी. नगर, नेहरु नगर, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 8200 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 0.82 हेक्टेयर, खसरा 76, ग्राम भांजाखेड़ी -1, तहसील खातेगांव, जिला देवास (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Allshave
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

".....सिया के 826 वीं बैठक दिनांक 23/01/2024 के माध्यम से उक्त प्रकरण के संबंध में उल्लेखित शिकायत के संबंध समिति का निर्णय है कि यह तकनीकी बिन्दु न होकर प्रशासनिक एवं विधिक मामलों से संबंधित है अतः प्रकरण का निपटान करना कार्यालय कलेक्टर खनिज शाखा जिला देवास से करना उचित होगा।...."

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि प्रकरण माननीय राष्ट्रीय अधिकरण (CZ) भोपाल के ओ.ए. 50/2024 (श्री प्रभात मोहन पाण्डे विरूद्ध यूनियन ऑफ इण्डिया व अन्य) में विचाराधीन है। अतः माननीय अधिकरण के अंतिम निर्णय अनुसार प्रकरण पर विचार किया जायेगा। तब तक प्रकरण को *Delist* किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

11. प्रकरण क्र. 10412/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री राजेन्द्र बाजपेयी, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., प्रबंधक संभागीय कार्यालय भोपाल म.प्र. निवासी 172 जी.एच. शासकीय माध्यमिक विद्यालय के पीछे, ग्राम – बावड़िया कलां, भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 6000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 1.00 हेक्टेयर, खसरा 03, ग्राम लचायारा, तहसील शमशाबाद, जिला विदिशा (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 710 वीं बैठक दिनांक 05.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-


परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र जलमग्न है तथा SEAC की गई अनुशंसा अनुसार पूर्व में भी बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत का उत्खनन किया जाता रहा है। चूंकि खदान क्षेत्र समान्यतः जलमग्न रहता है जिसके कारण बीच नदी से पनडुब्बी द्वारा रेत उत्खनन की संभावना रहती है जिससे जलीय जीवों एवं पौधों का रहवास नष्ट होता है। अतः पर्यावरणीय संवेदनशीलता प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

12. प्रकरण क्र. 10484/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री हरिशंकर शुक्ला, जूनियर मैनेजर दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान, उत्पादन क्षमता 52,680 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 4.046 हेक्टेयर, खसरा 01, ग्राम कोलहूवा, तहसील जैतपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 709 वीं बैठक दिनांक 04.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र में एक पक्का मेजर रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः प्रकरण को निरस्त (Reject) किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


13. प्रकरण क्र. 10801/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री राम सोनी, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 72000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 396पी, ग्राम भरुही, तहसील बहरी, जिला सीधी (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 709 वीं बैठक दिनांक 04.01.2024 एवं 726वीं बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैंडर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

14. प्रकरण क्र. 9271/2022 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स पेसीफिक मिनरल्स प्रा.लि. बैहर रोड़, जिला बालाघाट (म.प्र.) द्वारा मेगनीज ओर खदान, उत्पादन क्षमता (अंडर ग्राउंड विधि), उत्पादन क्षमता मेगनीज ओर 10559.8 टीपीए, सब-ग्रेड 586.655 टीपीए व मिनरल रिजेक्ट 586.655 टीपीए, रकबा 10.00 हेक्टेयर, कम्पॉटमेंट नं. पी.ओ. 127, ग्राम लैंगूर, तहसील बैहर, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट-ए) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 726वी बैठक दिनांक 21.02.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-ए) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-1) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) उप संचालक, खनिज प्रशासन जिला बालाघाट द्वारा निष्पादित अनुबंध दिनांक 01.09.2015 अनुसार उक्त लीज दिनांक 26.01.2018 से 25.01.2038 तक के लिये स्वीकृत की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 25.01.2038 तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक जनसुनवाई के दौरान की गई प्रतिबद्धता अनुसार सभी आश्वासनों का अनुपालन सुनिश्चित करेगा एवं प्रत्येक छमाही अनुपालन प्रतिवेदन जमा करेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खदान क्षेत्र में मौजूद वृक्षों को काटा नहीं जायेगा एवं उनका संरक्षण किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


15. प्रकरण क्र. 11066/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कारपोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री गोपाल सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 64800 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 354, ग्राम मुर्गीढाना, तहसील बनखेड़ी, जिला नर्मदापुरम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले आबादी से न्यूनतम 100 मीटर तक "नॉ माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


16. प्रकरण क्र. 11114/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री जन्मजेय सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 354, ग्राम कोठिया (बेहटाघाट), तहसील गुना, जिला गुना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

17. प्रकरण क्र. 11201/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 72000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.00 हेक्टेयर, खसरा 283/290, ग्राम चरकवाह, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

18. प्रकरण क्र. 11202/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 90000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 28, ग्राम पटासी, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।



(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव



(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य



(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के बीच में पक्का रोड ब्रिज स्ट्रक्चर परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज स्ट्रक्चर से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

19. प्रकरण क्र. 11203/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 41652 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.314 हेक्टेयर, खसरा 165, ग्राम बोडिडहा, तहसील ब्यौहारी, जिला शहडोल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले लीज क्षेत्र में मिल रहे नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


20. प्रकरण क्र. 11204/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 60000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 167, ग्राम रोहनिया, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 1000 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुर्नरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

21. प्रकरण क्र. 11208/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 52500 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 1279/1567, ग्राम बटुरा, तहसील सोहागपुर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 175मी. पर रोड ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गार्डलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।"


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


22. प्रकरण क्र. 11212/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 4410 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.45 हेक्टेयर, खसरा 10, ग्राम झोली, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 175मी. पर रोड ब्रिज है, जो मेजर ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)-
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

“एच” एवं पेज न. 24 के पैरा “आर” के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।”

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


23. प्रकरण क्र. 11213/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 18540 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.060 हेक्टेयर, खसरा 112, 349, ग्राम वटकीडोह, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

24. प्रकरण क्र. 11214/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 1386 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 0.70 हेक्टेयर, खसरा 217, ग्राम जमबारा, तहसील अमला, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 134 मी. पर रोड़ ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।"

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

25. प्रकरण क्र. 11215/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री प्रमोद धाबई, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 7644 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 2.45 हेक्टेयर, खसरा 99, ग्राम झोली, तहसील घोड़ाडोंगरी, जिला बैतूल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 195 मी. पर रोड़ ब्रिज है, **Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020** के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबेक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बेक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में सक्षम विषय विशेषज्ञ प्राधिकारी (ब्रिज कॉर्पोरेशन विभाग/जलसंसाधन विभाग/पी.डब्ल्यू.डी विभाग) का अभिमत भी प्राप्त नहीं किया गया। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।"

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

26. प्रकरण क्र. 11219/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री हरिशंकर शुक्ला, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 85212 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.734 हेक्टेयर, खसरा 2524, ग्राम बराछ, तहसील जयसिंहनगर, जिला शहडोल (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया :-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 500 मीटर की परिधि में एक अन्य खदान परिलक्षित है जिसकी प्राधिकरण द्वारा 830वी बैठक दिनांक 15.02.2024 में पर्यावरण स्वीकृति की अवधि विस्तार की स्वीकृति प्रदान की गई है जिस कारण उक्त प्रकरण बी-1 श्रेणी के अंतर्गत परिलक्षित है जबकि कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) जिला शहडोल द्वारा 500 मीटर की परिधि में कोई खदान स्वीकृत/संचालित होना नहीं बताया गया है। अतः उपरोक्त के दृष्टिगत परियोजना प्रस्तावक अपने अधिकृत पर्यावरण सलाहकार के साथ प्राधिकरण के समक्ष स्पष्टीकरण हेतु उपस्थित हों। तबतक प्रकरण को Delist किया जाता है। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

27. प्रकरण क्र. 11225/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री ग्याप्रसाद आंजने, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 88650 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.925 हेक्टेयर, खसरा 807, ग्राम सलैया, तहसील मानपुर, जिला उमरिया (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरूण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

28. प्रकरण क्र. 11226/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री पूरन लक्षकार, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 54150 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.750 हेक्टेयर, खसरा 443/1, 443/ए/2, ग्राम बोनकट्टा, तहसील तिरोडी, जिला बालाघाट (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

"..... समिति द्वारा विभिन्न पर्यावरणीय पहलुओं के दृष्टिगत प्रकरण का परिक्षण किया गया प्रकरण के परिक्षण के दौरान पाया कि इस प्रकरण में लीज क्षेत्र से 109 मी. पर स्टेट हाईवे क्रमांक 54 पर निर्मित रोड ब्रिज है, Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand Mining 2020 के पेज न. 22 के पैरा "एच" एवं पेज न. 24 के पैरा "आर" के अंतर्गत 01 कि.मी. का निर्धारित सेटबैक छोड़ने पर खदान समाप्त हो जाती है। सेड गाईडलाईन 2020 के पैरा 24 के अनुसार इसमें 01 कि.मी का सेट बैक देने पर खदान समाप्त हो जाती है।

परियोजना प्रस्तावक द्वारा इस संबंध में अवगत कराया कि संबंधित विभाग पी.डब्ल्यू.डी द्वारा अनापत्ति प्रदाय करने में असमर्थता व्यक्त की। अतः समिति द्वारा यह निर्णय लिया गया कि उक्त प्रकरण को पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु विचार नहीं किया जा सकता।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण को निरस्त किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

29. प्रकरण क्र. 11227/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 218, ग्राम जियाजीगढ़, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

Allshave
(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष


राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टाप डेम स्ट्रक्चर से न्यूनतम 1000 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

30. प्रकरण क्र. 11228/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 2000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 352, ग्राम सूरजखेड़ी, तहसील नागदा, जिला उज्जैन (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।


(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले लीज क्षेत्र में मिल रहे नाले से न्यूनतम 50 मीटर तक "नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

31. प्रकरण क्र. 11229/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री दिनेश शर्मा, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म. प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 3000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.660 हेक्टेयर, खसरा 197, 437, ग्राम तुमड़ावद, तहसील घट्टिया, जिला उज्जैन (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-


- (i) पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- (ii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार स्टॉप डेम स्ट्रक्चर से अपस्ट्रीम में न्यूनतम 250 मीटर एवं डाउनस्ट्रीम में न्यूनतम 500 मीटर तक" नो माइनिंग जोन" के रूप में हरित क्षेत्र विकसित किया जायेगा एवं उक्त क्षेत्र का सीमांकन राजस्व अधिकारियों द्वारा एवं खनिज अधिकारी की उपस्थिति में किया जायेगा। परियोजना प्रस्तावक द्वारा उपरोक्तानुसार निर्धारित दूरी (नो माइनिंग जोन) का सीमांकन करवाये जाने के उपरांत खनन योग्य उपलब्ध क्षेत्र की पुनरीक्षित खनन योजना तैयार कर सक्षम प्राधिकारी से अनिवार्यतः अनुमोदन प्राप्त कर खनन संक्रिया आरंभ की जाये।
- (iii) परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- (iv) परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

32. प्रकरण क्र. 11230/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि. म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 63924 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 3.946 हेक्टेयर, खसरा 294/1, ग्राम घगरोला, तहसील गाडरवाड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वी बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टेण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।


(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिया गया:-

परियोजना प्रस्तावक द्वारा प्रस्तुत अनुमोदित खनन योजना के अक्षांश देशांश के आधार गूगल ईमेज के अनुसार खदान क्षेत्र के 600 मीटर पर एक पक्का रोड़ ब्रिज परिलक्षित है। अतः भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा जारी Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 तथा Enforcement and Monitoring Guidelines for Sand 2020 में दिये गये प्रावधान "Sand and gravel shall not be extracted up to a distance of 1 kilometre (1 km) from major bridges and highways on both sides, or five times (5x) of the span (x) of a bridge/public civil structure (including water intake points) on up-stream side and ten times (10x) the span of such bridge on down-stream side" अनुसार पक्के रोड़ ब्रिज से निर्धारित दूरी छोड़ने के पश्चात खनन हेतु क्षेत्र उपलब्ध नहीं होता है।" प्रकरण पुनः परीक्षण हेतु SEAC को अग्रेषित किया जाये। तदनुसार परियोजना प्रस्तावक को सूचित किया जाये।

33. प्रकरण क्र. 11231/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 81000 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 5.00 हेक्टेयर, खसरा 605, ग्राम हीरापुर, तहसील तेंदूखेड़ा, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

34. प्रकरण क्र. 11232/2023 परियोजना प्रस्तावक, दि म.प्र. स्टेट माइनिंग कार्पोरेशन लिमि., अधिकृत व्यक्ति श्री शशि सिंह, पर्यावास भवन, ब्लॉक-ए, द्वितीय तल, जेल रोड़, अरेरा हिल्स, जिला भोपाल (म.प्र.) द्वारा रेत खदान (ओपनकास्ट मैनुअल विधि), उत्पादन क्षमता 77760 घनमीटर प्रतिवर्ष (SEAC द्वारा अनुशंसित), रकबा 4.80 हेक्टेयर, खसरा 229, ग्राम देवाकछार, तहसील करेली, जिला नरसिंहपुर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (परिशिष्ट- बी) सहित पर्यावरणीय स्वीकृति जारी किये जाने हेतु अनुशंसा की गई है।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की विशिष्ट शर्तों एवं स्टैण्डर्ड शर्तों (संलग्नक-बी) सहित की गई अनुशंसा को मान्य करते हुए प्राधिकरण की निम्नलिखित अतिरिक्त विशिष्ट शर्तों के साथ प्राधिकरण की 831वीं बैठक दिनांक 20.02.2024 में अधिरोपित मानक शर्तों (परिशिष्ट-2) सहित प्रकरण में पर्यावरणीय स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया :-

- पूर्व पर्यावरण स्वीकृति की वैधता Sustainable Sand Mining Guidelines 2016 के परिपालन में पर्यावरण स्वीकृति पत्र दिनांक से अधिकतम 5 वर्ष तक वैध मान्य रहेगी।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा जबतक खनन क्षेत्र पूर्णतः जलमग्न है तब तक खनन कार्य प्रारंभ नहीं किया जायेगा। इस हेतु जिला खनिज अधिकारी निरंतर आकलन किया जायेगा।
- परियोजना प्रस्तावक द्वारा खनन गतिविधि शुरू करने से पहले खदान जहाँ से शुरू हो रही है और जहाँ पर समाप्त हो रही है के दोनो ओर खनिज अधिकारी की उपस्थिति में सूचना पटल स्थापित किया जायेगा जिसमें परियोजना प्रस्तावक का नाम, लीज एरिया, खसरा नम्बर, उत्पादन क्षमता प्रतिवर्ष, पर्यावरण स्वीकृति की वैधता अवधि इत्यादि की पूर्ण जानकारी दर्शित की जायेगी। इस हेतु संबंधित जिला खनिज अधिकारी द्वारा परिपालन सुनिश्चित किया जायेगा।


परियोजना प्रस्तावक व सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।


35. प्रकरण क्र. 10482/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री शुभम यादव आत्मज श्री प्रतापभान सिंह यादव, निवासी- ग्राम रातीखेड़ा, तहसील एवं जिला अशोकनगर (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाइज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 7275 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा 41/1, ग्राम खेजरानाई, तहसील शाढौरा, जिला अशोकनगर (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय विशेषज्ञ मूल्यांकन समिति (SEAC) की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 में उक्त प्रकरण में निम्नानुसार अनुशंसा की गई है :-

समिति के संज्ञान में आया कि उनका प्रकरण समिति की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसा सिया को प्रेषित की गई है, जिसकी अनुशंसित बिंदु क्रमांक-7 में सीईआर मद में प्रस्तावित गतिविधियाँ एवं राशि त्रुटिवश उल्लेख नहीं हो पाया था जबकि परियोजना प्रस्तावक ने समिति के समक्ष प्रस्तुतीकरण

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव


(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य


(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

में सीईआर मद के अंतर्गत "ग्राम खेजरानायी के अंतर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में के लिए रु. 70,000 (0.70 लाख) प्रस्तावित किया है"।

अतः समिति चर्चा उपरांत अपनी पूर्व की 714वीं बैठक दिनांक 18/01/2024 को पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु अनुशंसित बिंदु क्रमांक-7 में सीईआर मद में मद के अंतर्गत "ग्राम खेजरानायी के अंतर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में के लिए रु. 70,000 (0.70 लाख) प्रस्तावित" पढ़े जाने निर्णय लेती है, शेष अन्य शर्तें यथावत रहेंगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) द्वारा प्रकरण में पर्यावरणीय मुद्दों पर विस्तृत चर्चा व परामर्श उपरांत एवं SEAC की 727वीं बैठक दिनांक 04.03.2024 की अनुशंसा को मान्य करते हुए प्रकरण में सीईआर मद के अंतर्गत "ग्राम खेजरानायी के अंतर्गत आ रहे प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्वास्थ्य सेवाओं के विकास हेतु रोगी कल्याण समिति में के लिए रु. 70,000 (0.70 लाख) प्रस्तावित" पठन किये जाने हेतु संशोधन मान्य किया जाता है। तदनुसार सर्व संबंधितों को सूचित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से अतिरिक्त एजेण्डा

36. प्रकरण क्र. P2/27/2024 परियोजना प्रस्तावक मेसर्स श्रीजी इन्फ्रास्ट्रक्चर इण्डिया प्रा.लि. (SIIPL) एवं मेसर्स शिवशक्ति कन्स्ट्रक्शन कम्पनी (SCC), एमआईजी 27, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, बोदाबाग, वार्ड नं. 7 हुजूर जिला रीवा (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 144876 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.364 हेक्टेयर, खसरा 571पी, ग्राम पपरा, तहसील अमरपाटन, जिला सतना (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 841 वीं बैठक दिनांक 28.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना के पत्र क्र. 1865 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना के पत्र क्र. 1865 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 06.08.2033 तक वैध मान्य रहेगी" के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) सतना के पत्र क्र. 1865 दिनांक 22.09.2023 के माध्यम से 02 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 21.09.2025 तक वैध मान्य रहेगी का पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा) -
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष

37. प्रकरण क्र. P2/307/2024 परियोजना प्रस्तावक श्रीजी इन्फ्रास्पेस प्रा.लि., उपाध्यक्ष श्री अभय शंकर पाण्डे, निवासी-04-105, सौम्या चौराह, आर.एच. कापडिया के पास, नियर गोवर्धन पार्टी प्लॉट, धलटेज, अहमदाबाद (गुजराज) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.80 हेक्टेयर, खसरा नं. 663, ग्राम बंजारी, तहसील महिदपुर, जिला उज्जैन (म. प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 841 वी बैठक दिनांक 28.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्र. 202 दिनांक 17.01.2024 अनुसार 730 दिवस की अवधि तक के लिये सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.01.2026 तक वैध मान्य रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्र. 202 दिनांक 17.01.2024 अनुसार 730 दिवस की अवधि तक के लिये सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 16.01.2026 तक वैध मान्य रहेगी।" के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) उज्जैन के आदेश क्र. 202 दिनांक 17.01.2024 अनुसार दिनांक 05.10.2023 से निर्माण कार्य की अंकित 730 दिवस की अवधि तक के लिये सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 04.10.2025 तक वैध मान्य रहेगी का पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

38. प्रकरण क्र. 9623/2023 परियोजना प्रस्तावक श्री भैरूलाल व्यास, निवासी-16, सखवाल नगर, जिला रतलाम (म.प्र.) द्वारा पत्थर खदान (ओपनकास्ट सेमी मैकेनाईज्ड विधि), उत्पादन क्षमता 25000 घनमीटर प्रतिवर्ष, रकबा 2.00 हेक्टेयर, खसरा नं. 3/2, ग्राम साँवलियारुंडी, तहसील रतलाम, जिला रतलाम (म.प्र.) की पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति के लिये आवेदन।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) 840 वी बैठक दिनांक 27.03.2024 में प्रकरण में पर्यावरण स्वीकृति प्रदान किये जाने का निर्णय लिया गया।

उक्त प्रकरण के परीक्षण के दौरान पाया गया कि प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2033 तक वैध मान्य रहेगी।

राज्य स्तरीय पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण (SEIAA) प्रकरण में अधिरोपित विशिष्ट शर्त क्र. 1 अनुसार "कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2023 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2033 तक वैध मान्य रहेगी।" के स्थान पर कार्यालय कलेक्टर (खनिज शाखा) रतलाम के पत्र क्र. 1962 दिनांक 23.11.2022 अनुसार 10 वर्ष की सैद्धान्तिक सहमति प्रदान की गई है, अतः यह पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति की वैधता जारी दिनांक 22.11.2032 तक वैध मान्य रहेगी का पठन किये जाने का संशोधन किया जाता है। तदनुसार सर्वसंबंधितों को सूचित किया जाये।

(संजीव सिंह)
सदस्य सचिव

(अनिल कुमार शर्मा)
सदस्य

(अरुण कुमार भट्ट)
अध्यक्ष